

परिशिष्ट 4.1  
(पैरा 4.43)

**राजकोषीय घाटा और ऋण: राज्य स्तरीय वहनीयता की स्थितियां**

4.1.1 राज्य वित्तीय व्यवस्थाओं के पुनर्गठन की योजना में, राज्यों के लिए वर्ष 2009-10 तक सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत का एक समग्र राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। यह सुझाव दिया गया है कि राज्यों को 2008-09 तक राजस्व घाटा शून्य तक और राजकोषीय घाटा वहनीय स्तरों तक नीचे लाते हुए अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनाने चाहिए। इन सुधारों को जहां राज्य सरकारों की पहल पर शुरू किया जाना है, वहीं आयोग ने एक कठोर बजट सीमा लगाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है और यह सुझाव दिया है कि किसी राज्य का सम्पूर्ण उधार कार्यक्रम एक निर्धारित सीमा के भीतर होना चाहिए, जिसका निर्धारण सभी स्रोतों से उधार को ध्यान में रखते हुए वार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर जहां ऋण अदायगी का प्रबन्धन एक लोक लेखा के माध्यम से किया जा सकता है, केन्द्र राज्यों को ऋण प्रदायगी बन्द कर दे और उनकी उधार आवश्यकताओं के लिए उन्हें सीधे बाजार में पहुँच बनाने में सहायता करे।

4.1.2 इस संदर्भ में, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित वार्षिक उधार की अधिकतम सीमा (क) वृहत विवेचनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए पुनर्गठन कार्यक्रम के मद्देनजर सभी राज्यों के लिए समग्र राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के अनुरूप हो, (ख) ये अधिकतम सीमाएं प्रत्येक राज्य की वहनीयता अपेक्षाओं के अनुरूप हो। इस नोट में एक ऐसी पद्धति का सुझाव दिया गया है जिसके द्वारा सकल राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को अलग-अलग राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे के अनुमेय स्तरों में परिवर्तित किया जा सके। इसमें उन राज्यों की पहचान भी की गई है जहां ऋण भार के संबंध में उनकी आरम्भिक स्थितियों और अन्य संगत पैरामीटरों पर विचार करते हुए बहुत बड़े समायोजन की आवश्यकता हो।

4.1.3 जैसा कि अध्याय 4 में चर्चा की गई है कि ऋण वहनीयता स्थितियों को ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के रूप में और समकक्ष रूप में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज अदायगियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राज्यों के मामले में राजस्व प्राप्तियों का संदर्भ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें राजस्व न केवल स्वयं उनके राजस्वों के आधार पर, वरन केन्द्र से अन्तरणों जो कुछ सीमा तक उनकी राजकोषीय सामर्थ्य में कमियों की प्रतिपूर्ति करते हैं, के आधार पर भी उपाजित होते हैं। राज्यों के लिए राजस्व प्राप्ति लक्ष्यों से ब्याज अदायगियों को अपनाना अधिक सरल है क्योंकि ये बजटीय आंकड़े हैं, जबकि जीएसडीपी के आंकड़े विलम्ब से उपलब्ध होते हैं।

4.1.4 वहनीयता स्थितियों का प्रयोग करते हुए, वह स्तर जिस पर सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का अनुपात (+\*)

वहनीय स्तर पर एक स्थिरीकृत ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात (b\*) के अनुरूप होगा, इस प्रकार प्राप्त किया जाएगा:

$$f^* = p.g / (g-i) \text{ and } b^* = p (1+g) / (g-i)$$

इस शर्त को राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगियों के अनुपात, जिसे (ip) द्वारा दर्शाया जाए, के रूप में और राजस्व प्राप्तियों से जीएसडीपी का अनुपात जिस (r) द्वारा दर्शाया जाए, के रूप में लिखा जा सकता है। राजस्व प्राप्तियों में केन्द्र से अन्तरण शामिल हैं। इस प्रकार

$$f^* = (ip) \cdot r.g / i \text{ and } b^* = (ip) \cdot r (1+g) / i$$

राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज अदायगियों के लक्ष्य स्तर को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है:

$$(ip)^* = f^* \cdot i / r.g$$

इस प्रकार वहनीय स्तरों पर स्थिरकारी राजकोषीय घाटे और ऋण के अनुरूप राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज अदायगियों का स्तर इस प्रकार होगा-

(क) उच्चतर, जितना अधिक राजकोषीय घाटा लक्ष्य, और औसत अंकित ब्याज दर होगी, तथा

(ख) निम्नतर, जितना अधिक राजस्व-जीएसडीपी अनुपात और अंकित वृद्धि दर होगी।

4.1.5 सारणी 4.1.1 में सकल घरेलू उत्पाद से वहनीय राजकोषीय घाटे के निश्चित स्तरों और अन्य पैरामीटरों के वैकल्पिक समिश्रण के अनुरूप ब्याज अदायगियों से राजस्व प्राप्तियों के अनुपात (जिसे इसके बाद आईपी-आरआर अनुपात) कहा जाएगा, के स्तर दिए गए हैं।

4.1.6 सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के स्तर (f\* = .03), 7 प्रतिशत की ब्याज दर, और सकल घरेलू उत्पाद से राजस्व प्राप्तियों का लगभग 13 प्रतिशत का अनुपात जिसे 2009-10 तक प्राप्त किया जा सकता है, पर विचार करते हुए सभी विचारित राज्यों के लिए राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगियों का लक्ष्य स्तर, 13.5 प्रतिशत बनता है। सारणी 4.1.1 में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर और 13 प्रतिशत का सकल घरेलू उत्पाद से राजस्व प्राप्तियों के अनुपात से संबंधित पंक्ति ब्याज दरों के विभिन्न स्तरों के लिए आई.पी-आरआर लक्ष्य के वैकल्पिक स्तरों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि अध्याय 4, जिसमें सुझाई गई पुनर्गठन योजना के अनुसार मिश्रित, केन्द्रीय और राज्यों की वित्तीय व्यवस्थाओं के राजकोषीय परिदृश्य का वर्णन है, की सारणी 3.13 में, 2009-10 तक 15 प्रतिशत का राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगियों का स्तर प्राप्त करना सम्भव होना चाहिए। अलग-अलग राज्यों के लिए आईपी-आरआर अनुपात के इस समग्र स्तर के निहितार्थों पर विचार करना उपयोगी होगा। सभी राज्यों के लक्ष्य [= (IP<sub>a</sub> / RR<sub>a</sub>)] को

**सारणी 4.1.1**  
पैरामीटर मूल्यों के वैकल्पिक सम्मिश्रणों के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों  
से ब्याज अदायगी के लक्ष्य स्तर

f	0.03	r	12.0			
<b>ब्याज दर</b>						
वृद्धि दर (%)	<b>0.07</b>	<b>0.075</b>	<b>0.08</b>	<b>0.085</b>	<b>0.09</b>	<b>0.095</b>
<b>11.0</b>	15.91	11.79	16.97	12.52	17.97	13.22
<b>12.0</b>	14.58	15.63	16.67	17.71	18.75	19.79
<b>13.0</b>	13.46	14.42	15.38	16.35	17.31	18.27
<b>14.0</b>	12.50	13.39	14.29	15.18	16.07	16.96
<b>15.0</b>	11.67	12.50	13.33	14.17	15.00	15.83
f	0.03	r	13.0			
<b>ब्याज दर</b>						
वृद्धि दर (%)	<b>0.07</b>	<b>0.075</b>	<b>0.08</b>	<b>0.085</b>	<b>0.09</b>	<b>0.095</b>
<b>11.0</b>	14.69	11.79	15.66	12.52	16.59	13.22
<b>12.0</b>	<b>13.46</b>	<b>14.42</b>	<b>15.38</b>	<b>16.35</b>	<b>17.31</b>	<b>18.27</b>
<b>13.0</b>	12.43	13.31	14.20	15.09	15.98	16.86
<b>14.0</b>	11.54	12.36	13.19	14.01	14.84	15.66
<b>15.0</b>	10.77	11.54	12.31	13.08	13.85	14.62
f	0.03	r	14.0			
<b>ब्याज दर</b>						
वृद्धि दर (%)	<b>0.07</b>	<b>0.075</b>	<b>0.08</b>	<b>0.085</b>	<b>0.09</b>	<b>0.095</b>
<b>11.0</b>	13.64	11.79	14.55	12.52	15.40	13.22
<b>12.0</b>	12.50	13.39	14.29	15.18	16.07	16.96
<b>13.0</b>	11.54	12.36	13.19	14.01	14.84	15.66
<b>14.0</b>	10.71	11.48	12.24	13.01	13.78	14.54
<b>15.0</b>	10.00	10.71	11.43	12.14	12.86	13.57

अलग-अलग राज्यों के लिए लक्ष्यों में निम्न प्रकार विघटित किया जा सकता है:

$$(IP_a/RR_a) = [(RR_1/RR_a)*(IP_1/RR_1) + (RR_2/RR_a)*(IP_2/RR_2) + \dots + (RR_n/RR_a)*(IP_n/RR_n)]$$

यदि राज्यों को j पादाक्षर द्वारा सूचीबद्ध किया गया है, j, j=1,2,...,n, हम पाते हैं  $IP_a = \sum IP_j$  और  $RR_a = \sum RR_j$  और  $\sum IP_j / \sum RR_j = (IP_a/RR_a)$

पद  $(IP_a/RR_a)$  सभी राज्यों के औसत के लिए IP-RR अनुपात दर्शाता है। अलग-अलग राज्यों का उनके सम्बन्धित जीएसडीपी के सापेक्ष राजकोषीय/घाटा और ऋण स्तरों को, कतिपय पूर्वधारणाओं के अधीन सकल राज्य वहनीयता अपेक्षाओं के अनुरूप "औसत" राज्य के लिए राजकोषीय घाटे और ऋणस्तरों से सम्बद्ध किया जा सकता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक राज्य IP/RR के संबंध में समान लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, हम पाते हैं,

$$IP_1/RR_1 = IP_2/RR_2 = \dots = IP_n/RR_n = IP_a/RR_a$$

4.1.7 इस शर्त का निहितार्थ यह है कि औसत ब्याज दरों से अधिक और औसत राजस्व सकल घरेलू उत्पाद अनुपात से कमतर राज्यों को औसत ऋण-जीएसडीपी अनुपातों से कम होने की आवश्यकता होगी बशर्ते कि वृद्धि दरों में भिन्नता न हो। संगत शर्तों को निम्न

प्रकार लिखा जा सकता है। किसी भी राज्य के लिए:

$$IP/RR = (i.B_{t-1})/(r.Y) = (i/r).(b_{t-1})/(1+g) = (i/r).b^*/(1+g)$$

(जब  $b_{t-1} = b_t = b^*$ )

यदि कोई वैयक्तिक राज्य पादाक्षर 'j' द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है और समग्र-राज्य औसत पादाक्षर 'a' द्वारा तो हम पाते हैं:

$$(i_j/r_j).b_j^*/(1+g_j) = (i_a/r_a).b_a^*/(1+g_a) \quad (\text{यदि } IP_j/RR_j = IP_a/RR_a)$$

पदों को पुनः व्यवस्थित करने पर हम पाते हैं:

$$b_j^* = b_a^* [(i_a/i_j)(r_j/r_a)] [(1+g_j)/(1+g_a)]$$

इसी प्रकार, राजकोषीय घाटे के स्थिरीकृत स्तरों के लिए हम लिख सकते हैं [1]

$$f_j^* = f_a^* \{i_j r_a g_a / i_a r_j g_j\}$$

इस प्रकार, समग्र राज्य ऋण-जीएसडीपी अनुपात को स्थिर करने के संदर्भ में, जीएसडीपी से राजकोषीय घाटे का अनुपात और किसी राज्य का ऋण-जीएसडीपी अनुपात क्रमशः सादृश्य औसतों की तुलना में निम्नलिखित स्थितियों में

(क) इसके उच्चतर ब्याज-दर होने पर

- (ख) इसके राजस्व-जीडीएसपी अनुपात के न्यूनतर होने पर, और
- (ग) इसकी वृद्धि दर के न्यूनतर होने पर, औसत की तुलना में न्यूनतर होना चाहिए।

4.1.8 समग्र राज्य राज्यकोषीय घाटा लक्ष्यों को लेने में, चूंकि ये सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष परिभाषित किए जाते हैं, सभी राज्यों के जीएसडीपी के जोड़ को प्रयुक्त करने की आवश्यकता होती है। अध्याय 4 में पुनर्गठन योजना की चर्चा करने में, "समायोजन अवस्था" जहां राजकोषीय घाटा और ऋण-डीएसडीपी अनुपातों के उनके वर्तमान स्तरों से कम होने की आशा है और एक "स्थिरीकरण अवस्था" जहां ये जीडीपी के संबंध में स्थिर रहते हैं, के बीच अंतर किया गया था। इसी प्रकार के सिद्धांत राज्य स्तरीय समायोजनों पर लागू होते हैं। कुछ राज्यों को उनके जीएसडीपी के सापेक्ष ऋण और राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज अदायगियों के उच्चस्तरों के कारण दूसरों से अधिक समायोजन करना होगा। अगले भाग में, वे राज्य जहां वृहत समायोजनों की आवश्यकता है, की पहचान की गई है।

#### राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगियों में प्रवृत्तियां

4.1.9 1996-97 के बाद की अवधि के दौरान राजकोषीय संतुलन के सूचकांकों जैसे राज्यों के राजस्व और राजकोषीय घाटों में बहुत अधिक हास हुआ है। इस हास का एक आयाम 1996-97 के बाद से राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज अदायगियों के स्तर में असाधारण वृद्धि था, जो बहुत हद तक पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में राज्यों में वेतनों में संशोधन का प्रभाव है। सारणी 4.1.2 में अलग-अलग राज्यों के लिए तथा सामुहिक औसतों के लिए दो तीन वर्षीय अवधियों के ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से औसत दिए गए हैं। यह दर्शाया गया है कि सामान्य श्रेणी राज्यों (जीसीएस समूह) के लिए औसत आईपी-आरआर अनुपात 1993-96 के औसत की 2000-03 के औसत से तुलना करने पर 16.7 प्रतिशत से बढ़कर 25.5 प्रतिशत हो गया। विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में समतुल्य वृद्धि 13.5 प्रतिशत से 17.0 प्रतिशत थी। सभी राज्यों का औसत 1993-96 के दौरान 16.4 प्रतिशत से बढ़कर 2000-03 में 24.6 प्रतिशत हो गया।

4.1.10 यह उल्लेखनीय है कि 1993-96 के दौरान 16.4 प्रतिशत पर आईपी-आरआर अनुपात का सभी राज्यों का औसत स्तर पुनर्गठन योजना में 2009-10 के लिए लक्षित किए जा रहे स्तर से लगभग 1.4 प्रतिशतांक अधिक है। समग्र सुधार को न्यूनतर ब्याज दरों पर केन्द्र को राज्य ऋणों के अनुशंसित पुनर्निर्धारण और 12 प्रतिशत की अंकित वृद्धि दर और उदार ब्याज दर व्यवस्था सहित अनुकूल वृहत आर्थिक कारकों से सुगम बनाया जाएगा। तथापि अलग-अलग राज्यों के स्तर पर कुछ राज्यों को समग्र-राज्य औसत, जिसे भी बहुत अधिक नीचे लाना होगा, के स्तर से वृहत्तर सुधार करने पड़ेंगे। सामान्य श्रेणी राज्यों के 2000-03 के औसत पर विचार करते हुए, सामुहिक औसत से अधिक मात्रा के क्रम में सूचीबद्ध वे राज्य जो औसत आईपी-आरआर अनुपात से उच्चतर (औसत दर्शाते हैं, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और बिहार हैं। विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में, औसत आईपी-आरआर अनुपातों से अधिक औसत वाले राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मणिपुर

और असम। यद्यपि बाद के तीन राज्य सामुहिक औसत के निकट है।

#### राज्यों द्वारा वहनीय उधार की योजना को प्रचालित करना

4.1.11 आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्यों द्वारा लिए गए वार्षिक उधार को वहनीय सीमाओं के भीतर रखा जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को अनुच्छेद 293(2) के अधीन ऐसा करने की शक्तियां प्राप्त हैं और राज्य सरकारों को अनुच्छेद 293(1) के अधीन ऐसा करने की शक्तियां प्राप्त हैं। एक बार राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनने के बाद राज्य विधानमंडलों से यह अपेक्षित है कि वे यह सुनिश्चित करने में, कि किसी राज्य का उधार कार्यक्रम विधायन के अंतर्गत विहित सीमाओं में रहे, अधिक नियन्त्रण बरतें। जब तक केन्द्र राज्यों को अपने लोक लेखा जैसे कि एनएसएसएफ के माध्यम से ऋण दे रहा है, यह राज्यों के उधार कार्यक्रम को अनुमोदित करने की स्थिति में होगा। इसे एक स्वायत्तशासी विनियामक निकाय जैसे ऋण परिषद के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

4.1.12 विनियामक निकाय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसी राज्य का उधार कार्यक्रम उस राज्य की वहनीयता अपेक्षाओं के अनुरूप हो, जिसे संगत राज्य-विशिष्ट पैरामीटरों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। इसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि एक साथ विचारित सभी राज्यों के उधार कार्यक्रम वृहत आर्थिक स्थिरता और सभी राज्यों के राजकोषीय घाटा लक्ष्यों के अनुरूप हो।

4.1.3 विशेष रूप से, इसे सभी राज्यों की औसत वार्षिक उधार आवश्यकता को अलग राज्य की आवश्यकता के साथ सम्बद्ध करके सुनिश्चित किया जा सकता है। समायोजन अवस्था में, राजकोषीय घाटा स्तर ऐसे होने चाहिए कि ऋण-सघउ अनुपात निरन्तर रूप से गिरे। स्थिरीकरण अवस्था में, राजकोषीय घाटा इतना होना चाहिए कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण-सघउ अनुपात स्थिर रहे। 2005-09 की अवधि को समायोजन अवस्था के भाग के रूप में लिया जाना चाहिए। पुनर्गठन कार्यक्रम के अनुरूप 2005-06 से 2009-10 के लिए सकल घरेलू उत्पाद लक्ष्यों से सभी राज्यों के लिए सुझाए गए वर्षवार राजकोषीय घाटा है: सघउ का 4.13, 3.75, 3.38, 3.0 और 3.0 प्रतिशत।

4.1.14 योजना को कार्यान्वित करने में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

- 1) "औसत" राज्य के लिए समग्र राज्य औसत के रूप में प्रासंगिक जीएसडीपी से राजकोषीय घाटे का अनुपात निर्धारित करना;
- 2) [सघउ]/(जीएसडीपी का जोड़) के बराबर समायोजन कारक का प्रयोग करके समग्र राज्य राजकोषीय घाटे का सभी राज्यों के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में समायोजन;
- 3) अलग-अलग राज्यों के लिए संगत ब्याज दर, वृद्धि दर और राजस्व-जीएसडीपी अनुपात और सभी राज्यों के लिए सादृश्य औसतों, जिन्हें चालू वर्ष में लागू किया जा सकता है, का निर्धारण करना; और

सारणी 4.1.2  
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज अदायगियों की प्रवृत्तियां: राज्यवार और समूह-वार

राज्य	औसत (1993-94 से 1995-96)	सामूहिक औसत का %	औसत 2000-01से 2002-03	सामूहिक औसत का %	% वृद्धि (औसत 93-96 से 2000-03)
<b>सामान्य श्रेणी राज्य</b>					
आन्ध्र प्रदेश	14.07	84.33	22.37	87.76	58.99
बिहार*	21.78	130.52	26.27	103.05	20.62
छत्तीसगढ़			15.84	62.13	
गोवा	14.26	85.50	19.62	76.96	37.52
गुजरात	15.18	90.99	24.60	96.51	62.05
हरियाणा	15.46	92.69	23.29	91.38	50.62
झारखंड			20.69	81.18	
कर्नाटक	12.08	72.42	18.07	70.91	49.59
केरल	17.66	105.86	27.39	107.46	55.09
मध्य प्रदेश*	13.34	79.98	19.04	74.68	42.67
महाराष्ट्र	11.93	71.52	20.76	81.45	74.01
उड़ीसा	22.39	134.20	35.85	140.64	60.11
पंजाब	32.27	193.43	38.77	152.12	20.15
राजस्थान	17.48	104.79	30.57	119.93	74.86
तमिलनाडू	11.98	71.84	18.64	73.13	55.53
उत्तर प्रदेश*	21.88	131.13	28.99	113.73	32.51
पश्चिम बंगाल	20.35	121.97	44.35	173.99	117.95
<b>जोड़ विशेष श्रेणी</b>	<b>16.68</b>	<b>100.00</b>	<b>25.49</b>	<b>100.00</b>	<b>52.78</b>
<b>विशेष श्रेणी राज्य</b>					
असम	16.39	121.70	17.16	100.77	4.67
अरुणाचल प्रदेश	5.04	37.43	11.34	66.57	124.82
हिमाचल प्रदेश	15.93	118.26	28.76	168.90	80.55
जम्मू और कश्मीर	16.57	122.99	14.75	86.60	-10.99
मणिपुर	8.78	65.16	17.48	102.64	99.14
मेघालय	7.52	55.83	11.10	65.17	47.57
मिजोरम	5.40	40.07	14.11	82.84	161.37
नागालैंड	10.72	79.55	15.08	88.55	40.71
सिक्किम	9.90	73.46	11.67	68.52	17.90
त्रिपुरा	10.09	74.91	14.27	83.83	41.47
उत्तरांचल			17.87	104.95	
<b>जोड़ विशेष श्रेणी</b>	<b>13.47</b>	<b>100.00</b>	<b>17.03</b>	<b>100.00</b>	<b>26.41</b>
<b>सभी राज्य</b>	<b>16.36</b>		<b>24.58</b>		<b>50.28</b>

**स्रोत (मूल आंकड़ों) राज्य वित्त लेखा**

- 4) किसी निश्चित राज्य और वर्ष के लिए अनुमेय उधार आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए किसी राज्य का सभी राज्यों के राजकोषीय घाटे से संबंधित फार्मूला लागू करना। यह उल्लेखनीय है कि उन राज्यों के लिए कुछ समायोजन करने पड़ सकते हैं जहां राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष मौजूदा ब्याज अदायगियां अधिक हैं और आरम्भिक वर्षों में अपेक्षित सुधार बहुत बड़े हैं।

**उपसंहार**

- (1) मानो  $j$  राज्य का राजकोषीय घाटा  $j_j$  है और सभी राज्यों का औसत  $f_a$  है। हम जानते हैं कि

$$f_a = (ip)_a^* \cdot r_a \cdot g_a / i_a \quad \text{or} \quad (ip)_a^* = f_a \cdot i_a / r_a \cdot g_a$$

$$\text{तदनुसार } j \text{ राज्य के लिए } j, \quad (ip)_j^* = f_j \cdot i_j / r_j \cdot g_j$$

$$\text{उपबंध का प्रयोग करते हुए} \quad (ip)_a^* = (ip)_j^*,$$

$$\text{हम पाते हैं,} \quad f_j = f_a \cdot \{i_j r_a \cdot g_a / i_a r_j \cdot g_j\}$$

## परिशिष्ट 4.2

(अध्याय 4)

## रोजगार और वेतन की प्रवृत्तियां: एक अन्तर्राज्य परिदृश्य

4.2.1 राज्यों के बजटों में वेतन अदायगियों का प्रतिबद्ध खर्चों में बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इस नोट में 1994-95 से 2002-03 के दौरान सरकारी रोजगार का राज्यवार पैटर्न, औसत वेतन और राज्यों के राजस्व खर्चों में वेतन के हिस्से की पड़ताल की गई है। पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकारों द्वारा किए गए वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप औसत वेतनों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। वेतन ढांचों में बढ़ती हुई समरूपता के बावजूद, प्रति कर्मचारी औसत वेतनों में बहुत अधिक भिन्नताएं हैं, जो अन्य कारकों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों की संरचना में अन्तर और उनका आयु परिदृश्य तथा कुछ भत्तों में भिन्नता के कारण हो सकती हैं।

4.2.2 ग्यारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को

राजस्व प्राप्तियों या राजस्व व्यय के सापेक्ष अपने वेतन व्यय को सीमित करने का प्रयास करना चाहिए। वेतन के स्तर और सरकारी रोजगार के स्तरों से संबंधित निर्णय राज्य की राजकोषीय क्षमता और सरकार द्वारा निर्वाहित की जाने वाली आबादी के आकार को ध्यान में रखते हुए लिया जाना चाहिए। यदि कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत बड़ी है तो औसत वेतन अपेक्षाकृत कम होना चाहिए। एक राज्य जिसमें कार्मिक बल अधिक है, प्रति कर्मचारी वेतन का उच्च स्तर और निम्न राजकोषीय क्षमता के फलस्वरूप इसकी राजस्व प्राप्तियों का बड़ा हिस्सा समग्र वेतन बिल में चला जाएगा। कार्मिकबल, भले ही वह विशाल हो, उत्पादक रूप से नियोजित सिद्ध नहीं होगा जब तक कि राज्य पूरक व्ययों, अर्थात् वेतन-भिन्न राजस्व व्यय और पूंजी व्यय की व्यवस्था करने में सक्षम न हो।

## सारणी 4.2.1

प्रति कर्मचारी वेतन व्यय: वेतन संशोधनों के बाद प्रतिशत वृद्धि

(रूपए प्रति कर्मचारी)

राज्य	1995-96[क]	औसत (1997-98 से 1999-00)[ख]	प्रतिशत वृद्धि [ख से क]
आन्ध्र प्रदेश	38033	50278	32.20
अरुणाचल प्रदेश	51369	79101	53.99
असम	41616	60709	45.88
बिहार *	62482	100948	61.56
गोवा	51333	83268	62.21
गुजरात	58745	83302	41.80
हरियाणा	44201	66869	51.28
हिमाचल प्रदेश	50975	78364	53.73
कर्नाटक	38344	63997	66.90
केरल	42762	63130	47.63
मध्यप्रदेश*	52963	82372	55.53
महाराष्ट्र	49083	73934	50.63
मेघालय	62001	83172	34.15
उड़ीसा	36040	66285	83.92
पंजाब	51659	92325	78.72
राजस्थान	47682	72327	51.69
सिक्किम	49012	100815	105.70
तमिलनाडू	52731	88570	67.97
त्रिपुरा	50654	59654	17.77
उत्तर प्रदेश*	45998	84675	84.09
पश्चिम बंगाल	45838	78723	71.74
<b>भारंशित औसत (21 राज्य)</b>	<b>47398</b>	<b>75364</b>	<b>59.00</b>

स्रोत ( मूल आंकड़े): राज्यों के ज्ञापन

4.2.3 सरकारी वेतनों पर व्यय में मूल वेतन, मंहगाई भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता और छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा लाभों सहित अन्य लाभ शामिल हैं। सारणी 4.2.1 में ब्याज अदायगियों को छोड़कर किसी राज्य के राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में उस राज्य का वेतन व्यय दर्शाया गया है। इस सारणी और परिशिष्ट की

सारणियों में प्रयुक्त आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित हैं। सभी राज्यों के आंकड़ों की सटीकता और तुलनात्मकता पर विचार करना सम्भव नहीं हुआ है। राज्यों को वेतन और रोजगार से संबंधित आंकड़े वार्षिक आधार पर बजट दस्तावेजों में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

## सारणी 4.2.2

राजस्व व्यय के सापेक्ष वेतन पर व्यय (ब्याज अदायगियों और पेंशन के अतिरिक्त)

(प्रतिशत)

राज्य	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
आन्ध्र प्रदेश	26.5	26.5	20.3	23.8	24.5	29.6	26.1	23.6	25.5
अरुणाचल प्रदेश	40.5	41.1	39.7	45.2	50.1	48.6	46.7	43.6	47.8
असम	60.7	60.7	70.4	71.7	74.3	75.9	71.1	71.5	71.7
बिहार	62.7	64.1	63.4	59.3	65.5	65.5	77.3	73.5	67.6
गोवा	27.6	19.3	19.3	21.5	20.1	22.2	49.1	22.0	19.5
गुजरात	16.4	17.7	16.0	15.7	15.1	14.2	11.1	12.0	14.8
हरियाणा	20.8	29.6	27.5	28.3	39.6	52.5	52.6	47.0	49.6
हिमाचल प्रदेश	45.9	46.7	47.6	45.9	51.4	51.7	51.5	58.9	58.3
कर्नाटक	37.3	35.9	34.6	39.3	39.3	40.0	37.6	36.3	38.3
केरल	40.1	37.7	36.5	31.5	34.1	39.9	40.1	38.4	32.0
मध्यप्रदेश	45.7	44.5	39.5	43.4	45.9	44.1	45.9	43.4	50.0
महाराष्ट्र	25.3	25.4	22.3	22.5	22.7	31.2	21.2	21.8	19.8
मेघालय	48.6	45.8	51.7	55.0	52.3	52.7	50.1	54.3	57.5
उड़ीसा	44.0	43.2	54.0	61.5	65.4	57.2	64.6	57.0	65.5
पंजाब	36.7	50.0	47.9	52.3	69.8	60.1	52.5	49.6	45.5
राजस्थान	39.6	37.8	45.9	50.4	54.4	52.6	49.2	49.3	48.0
सिक्किम	16.8	11.6	10.6	11.1	17.9	18.3	37.6	17.1	16.5
तमिलनाडू	40.6	42.9	42.5	45.0	50.6	51.2	49.2	51.6	40.8
त्रिपुरा	53.1	68.8	54.5	55.8	59.9	64.4	60.2	67.0	69.9
उत्तर प्रदेश	33.8	34.1	34.7	39.7	37.3	38.5	38.8	35.4	37.5
पश्चिम बंगाल	31.8	31.2	29.8	31.5	36.6	30.4	30.1	30.1	35.4
<b>कुल (21राज्य)</b>	<b>35.2</b>	<b>36.2</b>	<b>34.8</b>	<b>37.0</b>	<b>39.7</b>	<b>41.3</b>	<b>38.3</b>	<b>36.8</b>	<b>37.3</b>

## स्रोत (राज्यों के ज्ञापन)

4.2.4 राज्यों ने 1 फरवरी, 1996 अथवा इस अवधि के आस-पास किसी अन्य विनिर्दिष्ट तारीख से वेतन संशोधनों को लागू किया परन्तु इन्हें काफी बाद से प्रभावी बनाया। कर्मचारियों को बकाया का भुगतान किया गया, जिसके भुगतान भी सभी राज्यों में भिन्न-भिन्न तारीखों से किए गए। वेतन संशोधनों के प्रभाव पर विचार करने के लिए, संशोधन-पूर्व वेतन की अर्थात् 1995-96 के वेतन की बाद के वर्षों में प्रति कर्मचारी के वेतन के औसत से तुलना करना उपयोगी होगा। हम पाते हैं कि विभिन्न राज्यों में वेतन संशोधन का सर्वाधिक प्रभाव 1997-98 से 1999-00 में महसूस किया गया। इनका औसत 1998-99 में केन्द्रित है। सारणी 4.2.1 दर्शाती है कि 1995-96 की तुलना में 1997-98 से 2000-01 के दौरान, जिसका केन्द्र 1998-99 में था, औसत प्रति कर्मचारी के वेतन में 59 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है।

4.2.5 सारणी 4.2.2 ब्याज अदायगियों और पेंशन को छोड़कर राजस्व व्यय से वेतन व्यय का अनुपात दर्शाती है। यह अनुपात संशोधन से पूर्व लगभग 35 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2000-01 में 40 प्रतिशत से अधिक हो गया, जिसके बाद इसने नीचे आना शुरू किया है, परन्तु यह अभी भी औसत संशोधन-पूर्व स्तरों से अधिक है।

4.2.6 आयोग ने अध्याय 4 में सिफारिश की है कि राज्यों को ब्याज अदायगियों और पेंशन को घटाकर 35 प्रतिशत का राजस्व व्यय से वेतन व्यय का अनुपात प्राप्त करना चाहिए जो 1996-97 में इसके औसत स्तर के अनुरूप है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, उन राज्यों के लिए जो इससे ऊपर हैं, तीन सम्भावित मार्ग हैं, अर्थात् (क) कर्मचारियों की संख्या घटाना (ख) औसत प्रति कर्मचारी वेतन में कमी करना और (ग) राजस्व घाटे को बढ़ाए बिना राजस्व प्राप्तियों के स्तर में वृद्धि करना। यदि कर्मचारियों की संख्या सापेक्षिक रूप से बढ़ी है तो औसत वेतन को सापेक्षिक रूप में कम होना चाहिए। इसके विपरीत, यदि राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि को उचित सीमाओं के भीतर रखा है तो इसके लिए राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष वेतन व्यय के उचित स्तरों को प्राप्त करना सरल होगा। किसी ऐसे राज्य के लिए समायोजन सबसे अधिक करने होंगे जिसके पास बहुत बड़ा कार्मिक बल है, प्रति कर्मचारी वेतन का ऊँचा स्तर है और न्यून राजकोषीय सामर्थ्य है। सारणी 4.2.3 और 4.2.4 में 1994 से 2002-03 की अवधि के लिए कर्मचारी की कुल संख्या और प्रति कर्मचारी व्यय, राज्यवार दिया गया है।

## सारणी 4.2.3

## सरकारी कर्मचारियों की राज्यवार संख्या

(संख्या)

राज्य	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
आन्ध्रप्रदेश	560138	564583	568907	697619	589998	581456	543147	514163	545859
अरुणाचल प्रदेश	33222	36325	37420	39222	39606	39445	40231	40322	41165
असम	413464	422690	430357	441590	459701	453245	447424	441634	435534
बिहार	627990	613440	595612	570241	548075	531633	515684	470825	462137
गोवा	31241	31880	33807	34056	34230	35341	35379	34276	34499
गुजरात	209873	208680	204355	197768	215874	206036	205935	211008	203286
हरियाणा	300963	309795	315120	313790	316472	320515	319027	322217	325439
हिमाचल प्रदेश	131497	138307	142934	148163	159542	168551	175324	177000	180540
कर्नाटक	593878	632117	654002	565072	606478	627973	619518	618062	622547
केरल	357203	362540	361115	367572	377037	389563	385234	385881	352730
मध्यप्रदेश	523583	526378	514677	513475	518381	516230	510115	505682	497985
महाराष्ट्र	736607	747392	736591	736969	729546	707326	710802	695870	692265
मेघालय	36194	38014	39613	42830	44928	46644	47427	48776	49813
उड़ीसा	407290	426786	458295	468941	475791	458458	433452	426885	419468
पंजाब	365703	367935	373468	371462	373270	378147	373702	376222	उ.न.
राजस्थान	512224	531235	551054	569575	586452	596143	600835	611583	607469
सिक्किम	19522	20158	21038	21701	20395	22728	22859	23426	23973
तमिलनाडू	690546	691515	691644	691644	708201	708699	708986	709599	उ.न.
त्रिपुरा	90300	89242	96310	96725	96673	105038	103736	101604	98379
उत्तर प्रदेश	873351	865254	815213	809507	803801	705368	702666	705803	705803
पश्चिम बंगाल	432503	432403	433705	431599	436285	437018	441160	442544	439300
<b>कुल (21 राज्य)</b>	<b>7947292</b>	<b>8056669</b>	<b>8075237</b>	<b>8129521</b>	<b>8140736</b>	<b>8035557</b>	<b>7942643</b>	<b>7863382</b>	<b>6738191</b>

स्रोत(राज्यों के ज्ञापन)

## सारणी 4.2.4

## प्रति कार्मिक वेतन व्यय

(रुपए में)

राज्य	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
आंध्र प्रदेश	35138	38033	40899	37991	49282	63562	75365	75897	80909
अरुणाचल प्रदेश	48040	51369	57119	67613	81229	88462	94136	93558	98221
असम	36895	41616	45720	51198	57860	73070	77432	81745	83720
बिहार*	54900	62482	67950	79987	97094	125763	125198	97677	105125
गोवा	43989	51333	61566	76501	83729	89573	92510	100053	102491
गुजरात	46501	58745	62631	74892	84218	90795	94320	96782	108095
हरियाणा	38922	44201	50667	50027	68620	81960	84196	92624	101355
हिमाचल प्रदेश	45542	50975	56717	66669	83728	84695	91691	101907	110582
कर्नाटक	36314	38344	42800	58445	61759	71788	73864	80491	81000
केरल	40554	42762	48599	50699	59504	79187	79443	72359	85961
मध्य प्रदेश*	46205	52963	60517	67392	85515	94208	99718	92114	106000
महाराष्ट्र	43053	49083	53015	57885	64797	99119	87452	90126	86281
मेघालय	53434	62001	70568	77378	82668	89471	96181	108088	113808
उड़ीसा	33262	36040	44441	51104	66479	81272	82980	78748	92876
पंजाब	45432	51659	62492	77198	98641	101137	114726	109846	एनए
राजस्थान	41745	47682	53057	57281	78153	81548	81777	83651	87115
सिक्किम	42665	49012	54430	62041	125552	114852	109617	113651	121684
तमिलनाडु	45173	52731	61775	71807	91394	102509	101463	102998	एनए
त्रिपुरा	34891	50654	42277	49915	58755	70292	77736	89609	99631
उत्तर प्रदेश*	40045	45998	56940	74531	79486	100010	105592	94971	108602
पश्चिम बंगाल	41846	45838	52430	57728	84631	93809	100265	98601	103714
<b>भारित औसत (21 राज्य)</b>	<b>41968</b>	<b>47398</b>	<b>53631</b>	<b>61377</b>	<b>75116</b>	<b>89600</b>	<b>92214</b>	<b>90353</b>	<b>94603</b>
<b>विकास दर (औसत वेतन)</b>		<b>12.94</b>	<b>13.15</b>	<b>14.44</b>	<b>22.38</b>	<b>19.28</b>	<b>2.92</b>	<b>-2.02</b>	<b>4.70</b>

स्रोत (राज्य मेमोरेंडा)

\* इन राज्यों का वर्ष 2000 में विभाजन हो गया। 2000-01 और 2001-02 के आंकड़े विभाजन के बाद की स्थिति को दर्शाते हैं।